दूरभाष– 2286709
फैक्स–0522–2286711
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
www.sudaup.org
e mail-sudauplko@yahoo.com

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

पत्रांक 1813 / 04 / सात / 2012 / रि.यो. / टी.सी.– ।।। दिनांक 22 अगस्त, 2014

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
अलीगढ़।

विषयः शहरी क्षेत्रों में 'मोटर / बैटरी चालित रिक्शा योजना' के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा पुर्ननिर्धारित नयी कट–आफ–डेट के अनुसार पंजीकृत रिक्शा चालकों की प्रेषित सूची के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक परियोजना अधिकारी, डूडा, अलीगढ़ द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित पत्र संख्या 428 / डूडा / 14–15 दिनॉक 07.8.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें(छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र के माध्यम से 'मोटर / बैटरी चालित रिक्शा योजना' के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु पूर्व निर्धारित कट–आफ–डेट को विस्तारित कर निर्धारित की गयी नवीन तिथि दिनॉक 31.3.2013 तक पंजीकृत रिक्शा चालकों की सूची संलग्नकर प्रेषित की गयी है। पत्र में क्रमशः नगर पंचायत अतरौली में 129, खैर में 34, बेसवॉ में 15 तथा नगर निगम अलीगढ़ के 9847 रिक्शा चालकों की संख्या सूचित की गयी है। पत्र में यह भी उल्लिखित है कि इंगित सूची में **ग्रामीण क्षेत्रों के रिक्शा चालक भी** सम्मिलित हैं। पत्र के साथ लाभार्थियों की सूची सी0डी0 के माध्यम से प्रेषित है।

उल्लिखित सी0डी0 (375 पृष्ठों की) पर उपलब्ध डाटा का परीक्षण करने पर विभिन्न वर्षों में पंजीकृत क्रमशः दि0 11.5.2011 के अन्तर्गत 03, दि0 16.11.2011 से 01.12.2011 के अन्तर्गत 920, दि0 23.5.2012 से 31.3.2013 के अन्तर्गत 8327 तथा दि0 मार्च,.2014 के अन्तर्गत 600 अर्थात कुल पंजीकृत 9850 रिक्शा रिक्शा चालकों की सूची अवलोकित है।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत योजना के दिशा–निर्देश सम्बन्धी शासनादेश सं0 35 / 69–1–13–14(31) / 2012 दिनॉक 24.1.2013 में यह निर्देशित है कि, ''योजनान्तर्गत ऐसे समस्त निजी स्वामित्व रिक्शा चालक लाभान्वित होंगे, जो प्रदेश के नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत क्षेत्र के मूलरूप से निवासी होंगे। **''ऐसी स्थिति में प्रश्नगत सूची में ग्रामीण क्षेत्रों के रिक्शा चालकों का नाम सम्मिलित कर प्रेषित किया जाना शासनादेश के अनुरूप नियमसंगत नही है।**

पूर्वाक्त दिशा–निर्देश सम्बन्धी शासनादेश दिनॉक 24.1.2013 में प्रदेश के नगर निकायों में पंजीकृत लाभार्थी चयन हेतु निर्धारित कट–ऑफ–डेट अप्रैल, 2012 तक निर्धारित थी। जबकि आपके जनपद से प्रेषित लाभार्थी सूची में विशेषकर नगर पंचायत अतरौली के रिक्शा चालकों का पंजीयन वर्ष 2011 दर्शाया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के समस्त जनपदों से निर्धारित कट–ऑफ–डेट के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूची पूर्व में उपलब्ध करायी जा चुकी है। उक्त क्रम में अलीगढ़ जनपद के नगर पंचायत अतरौली

से 120 लाभार्थियों की संख्या सूच्य है। ऐसी स्थिति में पुनः नगर पंचायत अतरौली के 129 लाभार्थियों की उल्लिखित संख्या का औचित्य स्पष्ट नही है। इसी प्रकार नगर पंचायत बेसवॉ की सूचित लाभार्थी संख्या की पंजीयन अवधि के सम्बन्ध में भी सुस्पष्टता वांछित है।

वर्तमान संदर्भ में शासन द्वारा विस्तारित कट–ऑफ–डेट 31.3.2013 के अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों की सूची प्रेषित किये जाने हेतु शासन एवं अभिकरण स्तर से निर्देशित किया गया है अर्थात **दिनॉक 01.5.2012 से 31.3.2013 तक की अवधि में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत निजी स्वामित्व पात्र रिक्शा चालकों की सूची प्रेषित किया जाना वांछनीय है** जबकि परियोजना अधिकारी, डूडा, अलीगढ़ द्वारा नगर निगम अलीगढ़ से सम्बन्धित कुल 9847 रिक्शा चालकों की सूची में 920 रिक्शा चालकों की पंजीयन अवधि नबम्बर, 2011 एवं 600 रिक्शा चालकों की पंजीयन अवधि मार्च 2014 दर्शायी गयी है जो कि शासनादेश के प्रतिकूल एवं आपत्तिजनक है।

आप अवगत हैं कि प्रश्नगत योजना उ0प्र0 प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है ऐसी स्थिति में प्रश्नगत योजना के लाभार्थी चयन के उपरान्त पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार कर प्रेषित किये जाने में बरती गयी शिथिलता एक गम्भीर उदासीनता की परिचायक है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस प्रकरण पर व्यक्तिगत संज्ञान लेते हुये अधीनस्थ परियोजना अधिकारी, डूडा को शासनादेश के अनुरूप लाभार्थियों की सूची भलीभॉति परीक्षणोंपरान्त तत्काल प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

22/9/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपि परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत परिप्रेक्ष्य में विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर अपना स्पष्टीकरण प्रेषित करते हुये यथा निर्देशित शासनादेश के अनुरूप नवीनतम निर्धारित कट–ऑफ–डेट के अन्तर्गत आच्छादित पात्र लाभार्थियों की सूची तत्काल अभिकरण को हार्ड एवं साफ्ट प्रतियों में) प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक